न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 33 / 2025

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.(पूर्व में ए यू फाईनेन्सेरस इण्डिया लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. हर्ष मेडिकल स्टोर पताः— काली बगीची भरतपुर 321303 जिला भरतपुर
2. जयदेव सिंह निवासी कूम्हा कुम्हेर जिला भरतपुर अन्य पता पट्टा नं. 1 मिसल नं. 1 बुक नं0 007 गॉव कूम्हा ग्राम पंचायत कूम्हा मैन रोड, पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर

.........अप्रार्थी / सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

——————

आदेश **दिनांक 02.05.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 18.01.2023 को जरिए ऋण अनुबन्ध संख्या L9001060131854539 में ऋण राशि 4,00,000 /— रुपये ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने पट्टा नं. 1 मिसल नं. 1 बुक नं0 007 गॉव कूम्हा ग्राम पंचायत कूम्हा मैन रोड, पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर क्षेत्रफल 165 वर्गगज को बंधक रखा था। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्व में प्रेमसिंह का मकान, पश्चिम में मान सिहं का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 08.08.2024 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोपित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 13.08.2024 तक कुल बकाया राशि 3,64,501 /— रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 16.08.2024 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 16.08.2024 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति जो कि ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने पट्टा नं. 1 मिसल नं. 1 बुक नं0 007 गॉव कूम्हा ग्राम पंचायत कूम्हा मैन रोड, पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर क्षेत्रफल 165 वर्गगज को बंधक रखा था। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्व में प्रेमसिंह का मकान, पश्चिम में मान सिहं का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भैातिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर